

2019/00115

न्यायालय सहायक कलक्टर, फलोदी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी यशपाल आहुजा (आर.ए.एस.)

- | वादीगण | बनाम |
|---|------|
| 01. नरेश पुरोहित पुत्र रतनलाल पुरोहित
जाति पु.बा. निवासी फलोदी तहसील फलोदी
जिला जोधपुर | |
| 02. शान्तिदेवी पुत्री गोपीलाल | |
| 03. मगीदेवी पुत्री गोपीलाल | |
| 04. रामंवर पुत्री गोपीलाल | |
| 05. जेठीदेवी पुत्री गोपीलाल | |
| 06. चौथीदेवी पुत्री गोपीलाल (पत्नी लालचंद पुरोहित)
फौत के कायम मुकाम | |
| 6/1 आनन्द पुत्र लालचंद पुरोहित | |
| 6/2 मुरारी पुत्र लालचंद पुरोहित
सभी जाति पु.ब्र. निवासी लोर्डिया
तहसील फलोदी जिला जोधपुर | |
| 6/3 लता पुत्री लालचंद पुरोहित पत्नी विजय कुमार व्यास
जाति पु.ब्र. निवासी जोधपुर | |
| 07. अमोलख श्रीमाली पुत्र रामसुख श्रीमाली
जाति श्रीमाली निवासी फलोदी तहसील फलोदी
जिला जोधपुर | |
| 08. भीमराज पुत्र हिमता | |
| 09. कमल किशोर पुत्र हिमता
जाति पु.ब्र. निवासी लोर्डिया तहसील फलोदी
जिला जोधपुर | |
| 10. नर्बदादेवी पत्नी जयकिशन जाति सोनी
निवासी फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर | |
| 11. प्रवीण पुत्र चम्पालाल | |
| 12. अजय पुत्र चम्पालाल | |
| 13. अश्वीन पुत्र चम्पालाल | |
| 14. शोभा पुत्री चम्पालाल | |
| 15. बकुल पुत्र हरिवंश | |
| 16. मीना पुत्री हरिवंश | |
| 17. विरेन्द्र पुत्र लालचंद | |
| 18. कमलकिशोर पुत्र लालचंद | |
| 19. आशा पुत्री लालचंद | |
| 20. अरविन्द पुत्र सांगीदास | |
| 21. महेश पुत्र सांगीदास | |
| 22. जयकंवरी पुत्री सांगीदास | |
| 23. कमला पुत्री सांगीदास | |
| 24. नन्दा पुत्री सांगीदास | |
| 25. हरदेव पुत्र रामकिशन फौत के कायम मुकाम | |
| 25/1 बंसत कुमार पुत्र हरदेव | |
| 25/2 विष्णु पुत्र हरदेव
जाति पु.ब्र. निवासी लोर्डिया तहसील फलोदी जिला जोधपुर | |
| 25/3 ऊषा पुत्री हरदेव पत्नी लाधुराम पुरोहित
जाति पु.ब्र. निवासी फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर | |
| 25/4 शशि पुत्री हरदेव पत्नी चतुर्भुज पुरोहित | |

- प्रतिवादीगण
1. जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण रंगा
 2. नारायणलाल पुत्र पूनमचंद रंगा
फौत के कायम मुकाम
 - 2/1 सरकंवर पत्नी नारायणलाल रंगा
जाति पु.ब्र. निवासी लोर्डिया तहसील
फलोदी जिला जोधपुर
 - 2/2 पुष्पा पुत्री नारायणलाल रंगा
पत्नी भंवरलाल बोहरा जाति पु.ब्र.
निवासी लुकडो की गली, भैयानदी
फलोदी जिला जोधपुर
 - 2/3 सुशीला पुत्री नारायणलाल रंगा
पत्नी रामवल्लभ व्यास जाति पु.ब्र.
निवासी 201-ए आशा अपार्टमेंट विवा
कॉलोज रोड विरार वेस्ट जिला ठाणे
 - 2/4 कमला पुत्री नारायणलाल रंगा
पत्नी सुरेश जोशी जाति पु.बा.
निवासी गुचियों की गली फलोदी
तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
 - 2/5 दमयंती पुत्री नारायणलाल रंगा
पत्नी प्रेमप्रकाश पुरोहित जाति पु.ब्र.
निवासी बी-403 रतन तरंग कोप.हा.
सोसायटी पुरानी नग्नलास रोड परसी
पंचायत के पास, अंधेरी वेस्ट मुम्बई
 - 2/6 भगवती पुत्री नारायणलाल रंगा
पत्नी दिनेश व्यास जाति पु.ब्र.
निवासी राज श्री कुंज, रोड नम्बर 3
हेमु कॉलोनी, एक्स रोड ईरानी वाडी
कादीवली वेस्ट मुम्बई
 - 2/7 बसंती पुत्री नारायणलाल रंगा
पत्नी भंवरलाल गुचिया जाति पु.ब्र.
निवासी लोर्डिया तहसील फलोदी
जिला जोधपुर
 3. श्रीमान् तहसीलदार फलोदी


सहायक कलक्टर
फलोदी (जोधपुर)



- जाति पु.ब्रा. निवासी फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर
 25/5 बबीता पुत्री हरदेव पत्नी पूरण प्रकाश पुरोहित
 जाति पु.ब्रा. निवासी लोडिया तहसील फलोदी जिला जोधपुर
 26. भोजराज पुत्र रूगनाथ जाति खत्री
 निवासी फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर
 27. कमलादेवी पत्नी गौरीशंकर व्यास
 28. कविता रंगा पत्नी अशोक रंगा
 जाति पु.ब्रा. निवासी फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर
 29. जयप्रकाश पुत्र खीवराज बोहरा
 जाति पु.ब्रा. निवासी फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर
 30. श्यामादेवी पत्नी जुगलकिशोर व्यास फौत के कायम
 30/1 प्रदीप पुत्र जुगलकिशोर
 30/2 मनीष पुत्र जुगलकिशोर
 30/3 ज्योत्सना पुत्री जुगलकिशोर
 जाति पु.ब्रा. निवासी प्रताप नगर थाने के पास, जोधपुर

दावा अंतर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व मूल वाद संख्या :- 58/2019

उपस्थित अधिवक्ता :-


1. श्री कंवरलाल मेघवाल अधिवक्ता वादीगण की तरफ से
2. श्री भंवरलाल जोशी अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1, व 2/1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2/2 ता 2/7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं
4. प्रतिवादी संख्या 3 स्वयं उपस्थित

दिनांक :- 8/10/2020

निर्णय

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि वाके कस्बा फलोदी पटवार क्षेत्र फलोदी में खेत खसरा नम्बर 698 रकबा 39.10 बीघा एवं खसरा नम्बर 699 रकबा 13.17 बीघा कुल रकबा 53.07 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि में वादी संख्या 1 को 1/11 हिस्सा अर्थात 4.17 बीघा, वादीगण संख्या 2 ता 6 को संयुक्त रूप से 1/11 हिस्सा अर्थात 4.17 बीघा, वादी संख्या 7 को 1/11 हिस्सा अर्थात 4.17 बीघा, वादी संख्या 8 ता 10 को 1/11 हिस्सा अर्थात 4.17 बीघा, वादी संख्या 2 ता 6, 10 ता 26 का संयुक्त रूप से 1/11 हिस्सा अर्थात 4.17 बीघा, वादी संख्या 10 ता 26 को 1/11 हिस्सा अर्थात 4.17 बीघा, वादी संख्या 27 व 28 को संयुक्त रूप से 1/11 हिस्सा अर्थात 4.17 बीघा, वादी संख्या 10, 26 व 29 को 1/11 हिस्सा अर्थात 4.17 बीघा, वादी संख्या 30 को 2/11 अर्थात 9.14 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को संयुक्त रूप से 1/11 हिस्सा अर्थात 4.17 बीघा भूमि बंट में आती है। उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम सामलाती दर्ज होने एवं राजस्व रेकर्ड में खातेदारों के हिस्से स्पष्ट रूप से अंकित नहीं होने के कारण एवं भूमि सामलाती दर्ज होने के कारण वादीगण को अपने अपने बंट एवं हिस्सा की भूमि पर कृषि विकास कार्य, के.सी.सी. ऋण अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भंयकर असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये वादीगण उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि का वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा अनुसार उक्त भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा करवा कर भूमि राजस्व रेकर्ड में अपने हिस्से माफिक दर्ज करवाकर इसी अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस में बंटवाड़ा के अधिकारी है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2/1 की ओर से अधिवक्ता भंवरलाल जोशी ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी


 अधिवक्ता कलक
 फलोदी (जोधपुर)


संख्या 2/2 ता 2/7 की ओर कोई उपस्थित नहीं हुआ इसलिये इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार फलोदी ने स्वयं उपस्थित होकर वादीगण के वाद का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2/1 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब बंद किया गया। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वादी नरेश पुरोहित के बयान कलमबद्ध करवाये। पत्रावली प्रतिवादीगण की साक्ष्य में रखी गई। प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य नहीं करवाई गई। प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद की गई। अतः पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुवे उक्त वादग्रस्त भूमि कस्बा फलोदी पटवार क्षेत्र फलोदी में खेत खसरा नम्बर 698 रकबा 39.10 बीघा एवं खसरा नम्बर 699 रकबा 13.17 बीघा कुल रकबा 53.07 बीघा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी की स्थित है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अपने अपने बंट एवं हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा खुला हुआ नहीं जिससे खातेदारों को अपने अपने हिस्से की भूमि पर कृषि ऋण वगैरा लेने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा भूमि मौके पर एवं रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने से भी कृषि विकास कार्य करवाने में असुविधा होती है। इसलिये उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मीटस एण्ड बाउण्डस में बंटवाड़ा किया जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2/1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उक्त वादग्रस्त सामलाती भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को उनके हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि का उनके मध्य बाई मीटस एण्डस बाउण्डस में बंटवाड़ा किया जाने में अपनी सहमति जताई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया, बाद अवलोकन पत्रावली प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार फलोदी द्वारा विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में तैयार कर पेश किया जो शामिल मिसल किया गया जिसके अनुसार कस्बा फलोदी पटवार क्षेत्र फलोदी में खेत खसरा नम्बर 698 रकबा 39.10 बीघा एवं खसरा नम्बर 699 रकबा 13.17 बीघा कुल रकबा 53.07 बीघा भूमि में से वादी संख्या 1 नरेश पुरोहित के बंट में खसरा नम्बर 698 में से रकबा 1.01 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 3.16 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादीगण संख्या 2 ता 6 के बंट में संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 1.12 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 3.05 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादी संख्या 7 के बंट में खसरा नम्बर 698 में से रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 2.07 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादी संख्या 8 ता 10 के बंट में खसरा नम्बर 698 में से रकबा 3.09 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 1.08 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादीगण संख्या 2 ता 6 एवं वादी संख्या 10 ता 26 के बंट में संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 3.18 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 0.19 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादीगण संख्या 10 ता 23 एवं 25 ता 26 के बंट में संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 4.04 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 0.13 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादी संख्या 27 व 28 के बंट में संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 4.07 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 0.10 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादी संख्या 10, 26 व 29 के बंट में संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 4.09 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 0.08 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादी संख्या 30 के बंट में खसरा नम्बर 698 में से रकबा 9.03 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 0.11 बीघा कुल रकबा 9.14 बीघा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के बंट में संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 4.17 बीघा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि बंट में रखी गई। वादीगण अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी किये जाने में सहमति जाहिर की। तत्पश्चात् पत्रावली अंतिम बहस हेतु रखी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा किया जाकर इसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया।


सहायक कलेक्टर
फलोदी (जोधपुर)


अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2/1 ने अपनी बहस में बताया कि माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार वादग्रस्त भूमि का वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा गुणावगुण के आधार पर किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् वर्तमान जमाबंदी, नक्शा ट्रैस, विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 उक्त भूमि के रेकर्डड खातेदार है और तहसीलदार फलोदी द्वारा वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव भी पेश किया जा चुका है विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादग्रस्त खसरान् की भूमि का बंटवाड़ा किये जाने का वादीगण अधिवक्ता ने सहमति जाहिर की है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 उक्त वादग्रस्त भूमि के रेकर्डड खातेदार है जो अपनी खातेदारी की भूमि का बंटवाड़ा करवाने के जायज हकदार है। वादीगण ने अपने वाद को दस्तावेजात् से साबित किया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर राजस्व कस्बा फलोदी पटवार क्षेत्र फलोदी में खेत खसरा नम्बर 698 रकबा 39.10 बीघा एवं खसरा नम्बर 699 रकबा 13.17 बीघा कुल रकबा 53.07 बीघा भूमि में से वादी संख्या 1 नरेश पुरोहित को खसरा नम्बर 698 में से रकबा 1.01 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 3.16 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादीगण संख्या 2 ता 6 को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 1.12 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 3.05 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादी संख्या 7 को खसरा नम्बर 698 में से रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 2.07 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादी संख्या 8 ता 10 को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 3.09 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 1.08 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादीगण संख्या 2 ता 6 एवं वादी संख्या 10 ता 26 को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 3.18 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 0.19 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादीगण संख्या 10 ता 26 को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 4.04 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 0.13 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादी संख्या 27 व 28 को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 4.07 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 0.10 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादी संख्या 10, 26 व 29 को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 4.09 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 0.08 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादी संख्या 30 को खसरा नम्बर 698 में से रकबा 9.03 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 0.11 बीघा कुल रकबा 9.14 बीघा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 4.17 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के उपरोक्त वर्णित हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार फलोदी माफिक आदेश वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम अलग अलग खाते कायम कर इसी अनुसार नक्शा ट्रैस में तरमीम करे। इसी अनुसार अंतिम डिगरी जारी की जाकर पत्रावली फ़ैसल सुमार की जावें तथा नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 8/10/2020 खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(यशपाल आहुजा)
सहायक कलक्टर
फलोदी (जोधपुर)
सहायक कलक्टर
फलोदी (जोधपुर)

डिगरी बमुकदमें इब्तादाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)


अज अदालत श्री सहायक कलक्टर फलोदी
बइजलास श्री यशपाल आहुजा (आर.ए.एस.)

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

01. नरेश पुरोहित पुत्र रतनलाल पुरोहित
जाति पु.बा. निवासी फलोदी तहसील फलोदी
जिला जोधपुर
 02. शान्तिदेवी पुत्री गोपीलाल
 03. मगीदेवी पुत्री गोपीलाल
 04. रामंवर पुत्री गोपीलाल
 05. जेठीदेवी पुत्री गोपीलाल
 06. चौथीदेवी पुत्री गोपीलाल (पत्नी लालचंद पुरोहित)
फौत के कायम मुकाम
 - 6/1 आनन्द पुत्र लालचंद पुरोहित
 - 6/2 मुरारी पुत्र लालचंद पुरोहित
सभी जाति पु.ब्र. निवासी लोर्डिया
तहसील फलोदी जिला जोधपुर
 - 6/3 लता पुत्री लालचंद पुरोहित पत्नी विजय कुमार व्यास
जाति पु.ब्र. निवासी जोधपुर
 07. अमोलख श्रीमाली पुत्र रामसुख श्रीमाली
जाति श्रीमाली निवासी फलोदी तहसील फलोदी
जिला जोधपुर
 08. भीमराज पुत्र हिमता
 09. कमल किशोर पुत्र हिमता
जाति पु.ब्र. निवासी लोर्डिया तहसील फलोदी
जिला जोधपुर
 10. नर्बदादेवी पत्नी जयकिशन जाति सोनी
निवासी फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर
 11. प्रवीण पुत्र चम्पालाल
 12. अजय पुत्र चम्पालाल
 13. अश्वीन पुत्र चम्पालाल
 14. शोभा पुत्री चम्पालाल
 15. बकुल पुत्र हरिवंश
 16. मीना पुत्री हरिवंश
 17. विरेन्द्र पुत्र लालचंद
 18. कमलकिशोर पुत्र लालचंद
 19. आशा पुत्री लालचंद
 20. अरविन्द पुत्र सांगीदास
 21. महेश पुत्र सांगीदास
 22. जयकंवरी पुत्री सांगीदास
 23. कमला पुत्री सांगीदास
 24. नन्दा पुत्री सांगीदास
 25. हरदेव पुत्र रामकिशन फौत के कायम मुकाम
 - 25/1 बंसत कुमार पुत्र हरदेव
 - 25/2 विष्णु पुत्र हरदेव
जाति पु.ब्र. निवासी लोर्डिया तहसील फलोदी जिला जोधपुर
 - 25/3 ऊषा पुत्री हरदेव पत्नी लाधुराम पुरोहित
जाति पु.ब्र. निवासी फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर
 - 25/4 शशि पुत्री हरदेव पत्नी चतुर्भुज पुरोहित
जाति पु.ब्र. निवासी फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर
 - 25/5 बबीता पुत्री हरदेव पत्नी पूरण प्रकाश पुरोहित
जाति पु.ब्र. निवासी लोर्डिया तहसील फलोदी जिला जोधपुर
 26. भोजराज पुत्र रूगनाथ जाति खत्री
निवासी फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर
 27. कमलादेवी पत्नी गौरीशंकर व्यास
 28. कविता रंगा पत्नी अशोक रंगा
1. जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण रंगा
 2. नारायणलाल पुत्र पूनमचंद रंगा
फौत के कायम मुकाम
 - 2/1 सरेकंवर पत्नी नारायणलाल रंगा
जाति पु.ब्र. निवासी लोर्डिया तहसील
फलोदी जिला जोधपुर
 - 2/2 पुष्पा पुत्री नारायणलाल रंगा
पत्नी भंवरलाल बोहरा जाति पु.ब्र.
निवासी लुकड़ो की गली, भैयानदी
फलोदी जिला जोधपुर
 - 2/3 सुशीला पुत्री नारायणलाल रंगा
पत्नी रामवल्लभ व्यास जाति पु.ब्र.
निवासी 201-ए आशा अपार्टमेंट विवा
कॉलोज रोड विरार वेस्ट जिला ठाणे
 - 2/4 कमला पुत्री नारायणलाल रंगा
पत्नी सुरेश जोशी जाति पु.बा.
निवासी गुचियों की गली फलोदी
तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
 - 2/5 दमयंती पुत्री नारायणलाल रंगा
पत्नी प्रेमप्रकाश पुरोहित जाति पु.ब्र.
निवासी बी-403 रतन तरंग कोप.हा.
 - सोसायटी पुरानी नग्रलास रोड परसी
पंचायत के पास, अंधेरी वेस्ट मुम्बई
 - 2/6 भगवती पुत्री नारायणलाल रंगा
पत्नी दिनेश व्यास जाति पु.ब्र.
निवासी राज श्री कुंज, रोड नम्बर 3
हेमु कॉलोनी, एक्स रोड ईरानी वाडी
कादीवली वेस्ट मुम्बई
 - 2/7 बसंती पुत्री नारायणलाल रंगा
पत्नी भंवरलाल गुचिया जाति पु.ब्र.
निवासी लोर्डिया तहसील फलोदी
जिला जोधपुर
 3. श्रीमान् तहसीलदार फलोदी


सहायक कलक्टर
फलोदी (जोधपुर)

- जाति पु.ब्रा. निवासी फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर
29. जयप्रकाश पुत्र खींवराज बोहरा
जाति पु.ब्रा. निवासी फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर
30. श्यामादेवी पत्नी जुगलकिशोर व्यास फौत के कायम
- 30/1 प्रदीप पुत्र जुगलकिशोर
- 30/2 मनीष पुत्र जुगलकिशोर
- 30/3 ज्योत्सना पुत्री जुगलकिशोर
जाति पु.ब्रा. निवासी प्रताप नगर थाने के पास, जोधपुर

दावा बाबत 88, 53 आर.टी.एक्ट मुकदमा संख्या 58/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे

व हाजिर कंवरलाल मेघवाल मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण 1 व 2/1 की ओर से भंवरलाल जोशी उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 2/2 ता 2/7 कोई उपस्थित नहीं मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि कस्बा फलोदी पटवार क्षेत्र फलोदी में खेत खसरा नम्बर 698 रकबा 39.10 बीघा एवं खसरा नम्बर 699 रकबा 13.17 बीघा कुल रकबा 53.07 बीघा भूमि में से वादी संख्या 1 नरेश पुरोहित को खसरा नम्बर 698 में से रकबा 1.01 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 3.16 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादीगण संख्या 2 ता 6 को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 1.12 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 3.05 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादी संख्या 7 को खसरा नम्बर 698 में से रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 2.07 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादी संख्या 8 ता 10 को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 3.09 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 1.08 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादीगण संख्या 2 ता 6 एवं वादी संख्या 10 ता 26 को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 3.18 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 0.19 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादीगण संख्या 10 ता 26 को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 4.04 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 0.13 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादी संख्या 27 व 28 को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 4.07 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 0.10 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादी संख्या 10, 26 व 29 को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 4.09 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 0.08 बीघा कुल रकबा 4.17 बीघा, वादी संख्या 30 को खसरा नम्बर 698 में से रकबा 9.03 बीघा, खसरा नम्बर 699 में से रकबा 0.11 बीघा कुल रकबा 9.14 बीघा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 698 में से रकबा 4.17 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के उपरोक्त वर्णित हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार फलोदी माफिक आदेश वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम अलग अलग खाते कायम कर इसी अनुसार नक्शा ट्रैस में तरमीम करवा कर आदेश की पालना करावे। नीचे

मुतालिक

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर


वसूल याबी तक

बाबत्

फीस सदी सालाना आज की तारीख

को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 10 सन् 2020 जारी की गई।



मोहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।